रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2015/भाद्र 31, 1937
No. 587] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2015/BHADRA 31, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2015

सं. 47/2015-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 731(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सूची 5 में, मद संख्या (11) में, निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(11) नाइलोन-12/इथर इस्टर इलास्टोमर "

[फा. सं. 332/7/2015-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. सीमा 46/2015-सीमा-शुल्क, तारीख 17 सितम्बर, 2015 सा.का.नि. 716(अ), तारीख 17 सितम्बर, 2015 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2015

No. 47/2015-Customs

G.S.R. 731(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely:—

In the said notification, in List 5, for item (11), the following item shall be substituted, namely:—

"(11) Nylon-12/Ether Ester Elastomer".

[F.No.332/7/2015-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note: The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended *vide* notification No. 46/2015-Customs, dated the 17th September, 2015, published *vide* number G.S.R. 716(E), dated the 17th September, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.